

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :- रीडर/2024/22

दिनांक - 12-5-24

-: कार्यालय आदेश :-

(रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक)

मैं, नम्रता पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से संबंधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है करेंगे :-

क.सं.	दिनांक अवकाश	मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर न्याय क्षेत्र	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर
1.	02.06.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपड़, जिला धौलपुर (राज.)	सुश्री रेणु कुमारी गोयल मो. 9462318426
2	08.06.2024 व 09.06.2024	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	श्रीमती नीतू मो.8107149275
3	16.06.2024 व 17.06.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-3 धौलपुर।	श्री आकाश शर्मा मो. 73397772830
4	22.06.2024 व 23.06.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी जिला धौलपुर।	सुश्री प्रशंसा अग्रवाल मो. 9460894331
5	30.06.2024	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-एक, बाडी	श्री रनवीर सिंह मो.9461983836

नोट:-

- (1) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। उक्त दिनांक के राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त दिनांक के साथ-साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- (2) निर्धारित समय में आवश्यक फौजदारी कार्यों के प्रार्थनापत्र अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश न करने एवं अधिकृत अधिकारी के निवास पर मुल्जिमों को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कर्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- (3) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

-Sd-


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

कमांक: रीडर/2024/334 - 345

दिनांक : 22/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
3. श्री रनवीर सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-एक, बाडी जिला धौलपुर।
4. सुश्री रेणु कुमारी गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैपळ जिला धौलपुर।
5. श्रीमती नीतू न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा जिला धौलपुर।
6. श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-तीन, धौलपुर।
7. सुश्री प्रशंसा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बसेडी जिला धौलपुर।
8. जिला पुलिस अधीक्षक/जिला जेल/पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
9. कम्प्यूटर सर्वर रूम धौलपुर को अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)